गौतम बुद्ध प्राविधिक विश्वविद्यालय

(पूर्ववर्ती उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय)

पत्रांकः गौ0बु0प्रा0वि0/कुस0का0/एके0/2010/17067-17656 दिनांकः 20, जुलाई, 2010

स्पीड पोस्ट

सेवा में,

निदेशक/प्राचार्य,
प्राविधिक विश्वविद्यालय से सम्बद्ध,
समस्त अभियंत्रण एवं व्यावसायिक संस्थाएं ।

विषय- प्रदेश में शिक्षण में रैगिंग की रोकथाम हेतु आवश्यक उपाय सुनिश्चित किये जाने के संबंध में ।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश को सम्बोधित शासन के पत्र सं0 2175/सोलह-1-2010-1-250/96 टी0सी0, दिनांक 16.7.2010 की छायाप्रति संलग्न करते हुए मुझे यह कहने की अपेक्षा है कि उक्त शासनादेश में दिये गये दिशा निर्देशों के अनुसार संस्था स्तर पर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें ।

संलग्नक-यथोक्त

भवदीय

(यू0एस0 तोमर)
कुलसचिव

पृष्ठांकन सं0 व दिनांक-उपरोक्त

प्रतिलिपि प्रमुख सचिव, प्राविधिक शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ को शासन के पत्र सं0 2175/सोलह-1-2010-1-250/96 टी0सी0, दिनांक 16.7.2010 के संदर्भ में सूचनार्थ ।

(यू0एस0 तोमर)
कुलसचिव

-425-

आई0ई0टी0 परिसर, सीतापुर रोड, लखनऊ, फोन-2732193, फैक्स-2732185

सर्वोच्च प्राथमिकता/महत्वपूर्ण

संख्याः 2175 /सोलह-1-2010-1-250/96 टीसी

प्रेषक,

वृन्दा सरूप,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

प्राविधिक शिक्षा अनुभाग-1 लखनऊ : दिनांक 16 जुलाई, 2010

विषय:- प्रदेश में शिक्षण संस्थाओं में रैगिंग की रोकथाम हेतु आवश्यक उपाय सुनिश्चित किए जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-1820/सोलह -1-2010-250/96टीसी, दिनांक 21.6.2010 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करे। राज्य स्तरीय रैगिंग समिति की दिनांक 17-6-2010 को सम्पन्न हुई बैठक में प्रत्येक जनपद में रैगिंग रोकने हेतु प्रभावी कार्यवाही करने के लिए एक हेल्पलाइन की स्थापना करने का निर्णय लिया गया था। हेल्पलाइन की स्थापना हेतु रूपए 20-00 हजार मात्र की धनराशि कुलसचिव, गौतम बुद्ध प्राविधिक विश्वविद्यालय, लखनऊ के पत्र दिनांक 13 जुलाई, 2010 द्वारा प्रत्येक जनपद को उपलब्ध करायी जा चुकी है।

2- इस संबंध में आपसे अपेक्षा की जाती है कि जनपद के कलेक्ट्रेट परिसर में एक एन्टी रैगिंग डेडीकेटेड हेल्पलाइन की तत्काल स्थापना की जाए जो 24 घण्टे कार्य करेगी। हेल्पलाइन की स्थापना की सूचना जनपद में स्थिति समस्त इंजीनियरिंग कालेज/प्रबन्धन कालेज/विश्वविद्यालय/मेडिकल कालेज/महाविद्यालय/पालीटेकनिक/आई0टी0आई0 तथा इस प्रकार के अन्य शैक्षिक संस्थाओं तथा अन्य सुविधजनक सार्वजनिक स्थानों पर बैनर, पोस्टर, होर्डिग्स के माध्यम से प्रदर्शित करायी जाए। हेल्पलाइन पर प्राप्त होने वाली शिकायतों का तत्काल निस्तारण सुनिश्चित कराया जाए। प्राप्त होने वाली शिकायतों की पंजिका का रख-रखाव किया जाए जिसमें शिकायत का विवरण तथा कृत कार्यवाही का विवरण अंकित कराया जाए।

3- हेल्पलाइन के दूरभाष नम्बर की सूचना शासन को उपलब्ध करायी जाए।

4- कृपया जिला स्तरीय रैगिंग समिति की बैठक तत्काल आयोजित कर सभी सदस्यों विशेष रूप से छात्र संगठनों के प्रतिनिधियों एवं गैर सरकारी स्वयं सेवी संस्थाओं को हेल्पलाइन की सुविधा के बारें में अवगत करा दिया जाए तथा उनका रैगिंग रोकने के कार्य में सहयोग प्राप्त किया जाए। हेल्प लाइन की सुविधा की सूचना प्रिंट एवं इलेक्ट्रानिक मीडियाा, दूरदर्शन तथा आकाशवाणी को देते हुए उनके माध्यम से भी इसका व्यापक प्रचार-प्रसार कराया जाए।

3- कृपया उपर्युक्तानुसार तत्काल कार्यवाही प्राथमिकता के आधार पर सुनिश्चित करने का कष्ट करे।

भवदीय,

3397

(वृन्दा सरूप)
प्रमुख सचिव।

--2/--

SK-GO-2010

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश।

2- कुलपति, गौतमबुद्ध प्राविधिक विश्वविद्यालय, लखनऊ।

3- प्रमुख सचिव/सचिव, उच्च शिक्षा/चिकित्सा शिक्षा/कृषि शिक्षा/पशुधन/माध्यमिक शिक्षा विभाग, उ0प्र0शासन।

4- समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।

5- कुलसचिव, गौतमबुद्ध प्राविधिक विश्वविद्यालय, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि वह उपरोक्तानुसार समस्त इंजीनियरिंग कालेजों को निर्देशित करने का कष्ट करे।

6- कुलसचिव, समस्त राज्य विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,

16/11/01

(अनिल कुमार बाजपेई)

अनु सचिव।